।। न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ।।

पीठासीन अधिकारी : मातादीन शर्मा, आई.ए.एस.

अपील संख्या 07/2015

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
भानाराम पुत्र श्री सांवताराम जाति विश्नोई निवासी बरड़ाना तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		तहसीलदार पोकरण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.08.2015 जो तहसीलदार पोकरण द्वारा प्रकरण संख्या 54/2013 में पारित किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री मुरलीधर जोशी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार जैसलमेर पैरोकार राज प्रत्थर्थी की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 24 मार्च, 2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि हलका पटवारी लोहारकी ने तहसीलदार पोकरण को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा संवत् 2066 में ग्राम बरड़ाना के खसरा नम्बर 27 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म बंजड़ में से 10 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर बाजरी की काश्त की है व 1 बिस्वा भूमि पर पक्के मकान का निर्माण अतिक्रमण कर करवाया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 07.09.2011 द्वारा जुर्माना एवं बेदखली का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर अपील संख्या 3/2011 में पारित निष्रय दिनांक 26.12.2011 द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि प्रश्नगत भूमि की पैमाइश मुस्तकिल बिन्दु से नियमानुसार करवाई जाए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद कार्यवाही पारित निर्णय दिनांक 13.03.2012 द्वारा अपीलार्थी का अतिक्रमण ठहराते हुए जुर्माना व बेदखली का आदेश दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर अपील संख्या 5/2012 में पारित निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 13.03.2012 अपास्त कर प्रकरण पुनः पैमाइश व निर्देशनों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 3/2012 दर्ज कर बाद सुनवाई अपीलार्थी को अतिक्रमी ठहराते हुए निष्रय दिनांक 05.03.2013 द्वारा जुर्माना एवं बेदखली के आदेश पारित किये। उक्त निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर अपील संख्या 1/2013 में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2013 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2013 अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि निर्णय में किये विवचन के अनुसार प्रश्नगत भूमि की पैमाईश की कार्यवाही अपीलार्थी एवं आस–पास के दो खातेदारों की उपस्थिति में करवाई जावें एवं पैमाइश के पश्चात् जो स्थिति सामने आये उसके अनुसार एवं अपीलार्थी द्वारा निर्मित पक्का मकान/ढाणी राजस्व नियमों के तहत नियमन योग्य है अथवा नहीं इसका भी परीक्षण किया जावें एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 54/2013 दर्ज कर उसमें पारित निर्णय

दिनांक 26.08.2015 द्वारा अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण ठहराते हुए जुर्माना राशि रू. 15/– की अदायगी को चुकाने का उल्लेख करते हुए बेदखली का आदेश दिया है।उक्त निर्णय में यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के समीप अपीलार्थी का खसरा नम्बर 203/31 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी का होते हुए भी राजकीय भूमि हड़पने की नीयत से अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करते हुए पक्के मकान बनाये है जिसके लिये प्रश्नगत भूमि राजस्व नियमों में नियमन योग्य नहीं है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने हस्तगत अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त कर अपील स्वीकार करनेका अनुतोष चाहा गया है।अपीलार्थी ने ग्राम बरड़ाना के खसरा नम्बर 31 की खातेदारी भूमि में से करीब 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि खरीद कर जिस स्थान पर विक्रेता ने कब्जा दिया उसी स्थान पर पक्की ढाणी बनाई है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26.08.2015 की जानकारी उसे दिनांक 07.09.2015 को हुई जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 10.09.2015 को प्राप्त की गई, परन्तु स्वास्थ्य सही नहीं होने से 30 दिवस की समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत जबाब में अपीलार्थी द्वारा ग्राम बरड़ाना के खसरा नम्बर 27 की सिवायचक भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराने व अवैध काश्त करना मौका स्थिति से प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अस्वीकार की जाए।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी का परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित स्थिति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। पेरोकार राज का तर्क रहा कि यदि यह मान भी लिया जाय कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.08.2015 की जानकारी उसे 07.09.2015 को हुई थी जिस पर उसके द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि उसे दिनांक 10.09.2015 को प्राप्त हो गई थी तो इस तिथि के 30 दिवस के भीतर अपील का प्रस्तुतीकरण आज्ञापक है परन्तु उक्त 30 दिवस के अवसान के बाद दिनांक 12.10.2015 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो समयावधि से बाधित होने के कारण इसी बिन्दु पर खारिज योग्य ठहरती है। न्यायहित में समग्र विवेचन के उपरांत प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना युक्तिसंगत होने से अपीलार्थी की अपील समयावधि में शुमार की जाती है।

गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रश्नगत निर्माण अपीलार्थी की खातेदारी की की भूमि में न होकर सिवाचयक में होने की स्थिति में अतिक्रमण को नियमित करने की राजकीय प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाने के अनुतोष का अनुरोध किया। पेरोकार राज का तर्क रहा कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि हड़पने की नीयत से समीप में अपनी खातेदारी भूमि होते हुए भी सिवाचयक भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कराया है जो मौका रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय से स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.08.2015 विधि सम्मत होकर पोषणीय होने से अपील अस्वीकार की जावें।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हलका पटवारी द्वारा तहसीर किया मौका प्रतिवेदन दिनांक 15.07.2015 जो अपीलार्थी एवं पड़ौसी मोतबिरान खातेदारों की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षरों के साथ तहरीर किया गया है में अपीलार्थी की ढाणी / मकान की पैमाइश मौके पर मौजूद सुरी नम्बर 30, 31 से की जाने अपीलार्थी की ढाणी / मकान तथा टांका खसरा नम्बर 27 में आते है जो सिवायचक भूमि है। राजस्व नियमों में प्रश्नगत अतिक्रमण के नियमन का प्रावधान नहीं होना उल्लेखित है। अपीलाधीन निर्णय में भी अतिक्रमित भूमि क नियमन का प्रावधान नहीं होना अंकित किया गया है।

उक्त विवेचन से अपीलार्थी द्वारा ग्राम बरड़ाना के खसरा नम्बर 27 की राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध काश्त एवं अवैध निर्माण कराना प्रमाणित ठहरता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की हस्तक्षेप / परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होने से अपील खारिज योग्य है। अतएव अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.08.2015 यथावत रखा जाता है। उभय पक्ष अपना – अपना व्यय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24 मार्च, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

(मातादीन शर्मा)
जिला कलक्टर
जैसलमेर